

122



न्यायालय श्रीमान् ~~कोर्ट महोदय सागर जिला सागर म.प्र.~~ ^{समस्त राष्ट्रमण्डल ग्वालियर बुध सागर}
R-3467-¹¹⁴

- 1- पंज पति वीरेंद्र आसवाल पुत्री सोहन रा
निवासी-वीरसावरकर वार्ड बीना तह, बीना ज. सागर
- 2- अशोक कुमार बल्द फूलचंद
निवासी-ग्वालियर

-----पुनरीक्षण कर्तागण

B.O.R. ^{आम्रका कोयल विरुद्ध}
^{सागर जे रिज}
29-8-14 को प्राप्त

29 AUG 2014

- 1- सिया पति बृजभान यादव
निवासी-ग्राम पन्थ तहसील बीना जिला-सागर
- 2- म.प्र. शासन

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भु.रा.सं. 59 के अंतर्गत ओर
पुनरीक्षणकर्तागण:-

+ यह कि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार बीना के
रा.प्र.क्र 60अ/12 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11/06/2014
के से दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान् न्यायालय में न्याय
प्राप्त हेतु प्रस्तुत है।

पुनरीक्षणकर्तागण प्रार्थी है:-

श्री. महेश्वर काश्याप
सागर (म.प्र.)
कार्यालय सागर, सागर सम्भाग,
सागर (म.प्र.)

... तहसील बीना में

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-3467-एक/2014

जिला-सागर

पंकज व अन्य विरुद्ध सिया व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमापकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार बीना, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 60/अ-12/2013-2014 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>